

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

..... मोहन को. वनाम सागर को.

कदमा डा. पत्रा. श्री. आई. मुकदमा नं. 17/20.18... सन् २० 18

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>30⁰⁴/18 वकील जयवीरगण श्री एजावतार विजागिया ने हरिज अकालत होकर जयवीर पत्रा श्री. आई. पेश किया। डा. फा दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। स्थान पर वकील जयवीरगण एकापक्षीय सूनी गई। पत्रा व एजावती पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं सहस्र वकील जयवीरगण पर लगे सदन किया गया। पिनसे उभय दृष्ट्या उभय पक्षकारों को अन्तर्गत श्री. आई. से पासबन्ध किया जाता न्याय संगत उचित होता है।</p> <p>अतः उभय पक्षकारों को अगामी तारीख पेशी तक जारी अह्याई निषेधाज्ञा पासबन्ध किया जाता है कि आप विवाहग्रस्त जयवीरगण ख. नं. 344 एकाका 0.72 हे. तन जयवीर धर्मपुरा तहसील खण्डेला का किरा विधिवत विभाजन करके वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त</p>	<p>1628-1634 30/04/18</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

आदेश। उचलित मामलों के संबंध में
 उपरोक्त नहीं होगा। अपीलिंग का
 आदेश उल्लिखित करते हुए समन जारी
 होकर पत्रावली दिनांक 20/06/18 को
 है। अपीलिंग O.S. R. 03 CPC की
 को।



मौजूद सहायक जज

07⁰⁶/₁₈ जारी हुआ अर्चना पत्र टी. अर्चि. विरा
 हेतु अर्चना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर
 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अदालत
 मय आपके द्वारा-2018 के तहत केम्प ल्याल
 अदालत सेवा केन्द्र आभाव में पेश है।
 ज. पत्र टी. अर्चि. से संबंधित मूल कादपत्रा
 किया जा चुका है अतः ज. पत्र टी. अर्चि. में
 आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। मामला
 अदालत इसी स्तर पर स्थगित किया जावे।
 पत्रावली प्रेषित हुआ होकर नम्बर से जमा
 हो तथा बाद तकनीक दाखिल करके
 निर्दिष्ट मजमें जमा हुआ गया।

भागीन्य शाखा
 (RAS)
 सहायक कलक्टर
 (ग्रास्ट ट्रेक) लण्डेला